

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

नोट : मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे
राजमाता विजयराजे सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत
आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
2. आवेदिका का नाम
3. पिता का नाम
4. आवेदिका की विवाह के समय आयु
5. पत्र व्यवहार का पूरा वर्तमान पता एवं फोन
6. विवाह हेतु प्रस्तावित माह
7. (अ) वर का नाम
- (ब) वर के पिता का नाम
- (अ) वर की आयु
- (अ) वर के पत्र व्यवहार का पता
8. घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से वचन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में औजार टूल्स किट्स वापस करने का वचन देता/देती हूँ।

आवेदिक के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरान्त उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति की दशा में योजना का नाम दिनांक

के अंतर्गत निम्नानुसार राशि रुपये चेक क्रमांक
बैंक का नाम शाखा का नाम
द्वारा श्री को भुगतान किया गया।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

स्थान :

दिनांक :

पावती

राशि रुपये चैक क्रमांक

दिनांक प्राप्त किए गये।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. इस योजना का लाभ 5 से अधिक महिलाओं के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन पर देय होगा। महिला श्रमक स्वयं आवेदिका होने पर अथवा आवेदिका(पुत्री होने पर) के पिता/माता के परिचय-पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करें।
2. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायें। मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जातना चाहिए तथा परिचय पत्र में छायाप्रति की मांग की जानी चाहिए। आवेदक द्वारा दर्शा विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए।
3. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सुविधा मिल रही है उसका चयन कर सकेगा।